N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम खबर अहवाल

(कलम बी एन एस एस १७३ च्या अंतर्गत)

1. **District (जिल्हा):** चंद्रपुर **P.S.(ठाणे):** बल्लारशा

Year (वर्ष): 2025

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0031

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):14/01/2025 02:50

2.

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	7

3. (a) **Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):**

1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 08/01/2025

Date To (दिनांक पर्यंत): 13/01/2025

Time Period (कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 13:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 20:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):**

Date (दिनांक): 13/01/2025 **Time (वेळ):** 20:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):**

Entry No. (नोंद क्र.): 004

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 14/01/2025 02:50 बजे

4. **Type of Information (माहितीचा प्रकार):** लेखी

5. **Place of Occurrence (घटनास्थळ):**

1.(a) **Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर):**

पूर्व, 0.01 किमी **Beat No. (बिट क्र.):**

(b) **Address (पत्ता):** पोलीस स्टेशन बल्लारशा

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):**

Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव):

District(State) (जिल्हा(राज्य)):

6. **Complainant / Informant** (तक्रारदार/माहिती देणारा):

(a) **Name** (नाव): मो. मन्सुर खान मुर्तजा खान

(b) **Father's/Husband's Name**(वडील / पती चे नाव) :

(c) **Date/Year of Birth** (जन्म तारीख/वर्ष): 1972

(d) **Nationality** (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) **UID No.** (यु.आय.डी. क्र.):

(f) **Passport No.**(पारपत्र क्र.):

Date of Issue (दिल्याची तारीख):

Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):

(g) **ID details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)** ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड)

S.No. (अ.क्र.)	**ID Type** (ओळखपत्राचा प्रकार)	**ID Number** (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1		

(h) **Address** (पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	**Address Type** (पत्याचा प्रकार)	**Address** (पत्ता)
1	वर्तमान पता	मौलाना आझाद वार्ड,बल्लारशा,बल्लारशा,चंद्रपुर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	मौलाना आझाद वार्ड,बल्लारशा,बल्लारशा,चंद्रपुर,महाराष्ट्र,भारत

(i) **Occupation** (व्यवसाय):

(j) **Phone number** (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9823380627

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars** (माहीत असलेल्या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	**Name** (नाव)	**Alias** (उर्फनाव)	**Relative's Name** (नातेवाईकाचे नाव)	**Present Address** (वर्तमान पता)
1	हुसैन कादर शहा			1. क्वाटर क्र A 2 अधिकारी निवास,निवासस्थान पोलीस लाइन ,बल्लारशा,बल्लारशा,चंद्रपुर, महाराष्ट्र,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant** (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

9. **Particulars of properties of interest** (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):

S.No. (अ.क्र.)	**Property Category** (मालमत्ता वर्ग)	**Property Type** (मालमत्ता प्रकार)	**Description** (वर्णन)	**Value(In Rs/-)** (मुल्य (रू.
1	इतर	यंत्र-उपकरण/उपसाधन	32 GB क्षमतेचे 3 मेमरी कार्ड	0.00

10 **Total value of property (In Rs/-)**
(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रू. मध्ये)):

0.00

11.**Inquest Report / U.D. case No., if any**
(इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र.,जर असल्यास)):

S.No. (अ.क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी.बी.क्र.)

12.**First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):**

फिर्याद दिनांक 14/01/2025

ठिकाण:- बल्लारशाह

मै, मो. मन्सुर खान मुर्तूजा खान, वय 53 साल, पता- मौलाना आजाद वार्ड, बल्लारशाह ता. बल्लारशाह जिला-चंद्रपूर यहा अपने परीवार के साथ रहता हु और ट्रान्सपोर्ट कमिशन एजंट के तौर 2007 से काम कर रहा हू.
मैने ता. 08/01/2025 को पुलीस उप अधिक्षक, श्रीमती मंजुषा भोसले, अँन्टी करप्शन ब्युरो, चंद्रपूर इनके समक्ष बल्लारशा पुलीस स्टेशन के दो पुलीस वालो के खिलाफ रिपोर्ट दी. मेरे कहने नुसार मेरा भतीजा अयान शेख वहाब शेख इसने रिपोर्ट अपने हाथों से लिखी। और मुझे रिपोर्ट पढके सुनाके मेरे दस्तखत लिए। मैने दी हुई रिपोर्ट निम्नलिखीत है.
''मै उपरोक्त पत्तेपर अपने परिवार के साथ रहता हू और कमिशन एजंट के तौर पर 2007 से काम कर रहा हू. मै महाराष्ट्र और बाहर राज्य के व्यापारियों से दुसरे व्यापारी को उनका माल जैसे की लकडी, बांबू, तेंदुपत्ता आदि माल ट्रकों से एक जगह से दुसरी जगह पहुचाकर देने का काम करता हु. एक व्यापारी से दुसरे व्यापारी को उसका माल पहुचाकर देने के बदले मे मै 02 टके का कमीशन लेता हु. इसके लिए मेरे पास तेंदुपत्ता खरेदी करने का और बेचने का वनविभाग की ओर से जारी किया गया लायसन्स है.
मैने अगस्त महिने मे मौ. अब्दुल रऊफ एम. ए. जब्बार, पता - कोरटला, मो. एजाज पता- वारंगल, मो जमील उल हक पता-निजामाबाद, मो. आसिफ पता- निजामाबाद, मो. याकुब पता- करीमनगर सभी रहेनेवाले तेलंगना इन व्यापारियों का 19,02,000/- रूपये का (मेरा कमीशन मिलाकर) तेंदुपत्ते का माल देवलमारी इंदाराम और नागापल्ली (तहसील आलापल्ली, जि.गडचिरोली) यहा से बामनी (ता.बल्लारशाह) के गोडाऊन तक पहुंचाया था. जिसके लिए मैने मुन्शाद शेख रा. तेलंगना इनसे किश्तो मे 16,50,000/-रू उधार लिये थे जो मैने तेंदुपत्ता जमा करनेवाले गाववालो, गाडीवाले ओर लेबर लोगों को उनका पेमेंट कर दिया था. उसके बाद जब मैने पाचो व्यापारियो को अपना कमीशन मिलाकर 19,02,000/- रू का पेंमेंट करने के लिए कहा तो वो मेरा पेमेंट देने के लिए पिछले तीन-चार महिने से आनाकानी कर रहे थे. इसलिए मै दिनांक 28/12/2024 को उनकी लेखी शिकायत लेकर बल्लारशाह पुलीस स्टेशन मे तकरिबन शाम के 06/00 बजे जाकर थानेदार श्री. घाटे साहब से मिला और मेरे तेंदुपत्ता टान्सपोर्ट करने के लायसन्स और आदि कागजात दिखाए और पांचो व्यापारियों से मेरे तेंदुपत्ता का पैसा निकालकर देने के लिए कहा. उसपर श्री. घाटे साहाब ने मुझे ''मैं क्या वसुली कर के देने वाला लगता हु क्या तुमको? ऐसा कहा. उसपर मैने उनको कहा की, साहब बाद मे झगडे होने से अच्छा पहले आपके पास लिखीत शिकायत लेकर आया हू. उसपर श्री. घाटे साहब ने मुझे कहा की, ''एक काम कर पूरे बिल का 20 परसेंट लगेगा'' तब मैने घाटे साहब को कहा की, साहब मेरी उतनी हैसियत नही है. मै खुद 2 परसेंट पे काम करता हू वो मै आपको दे दुंगा. उसके बाद श्री. घाटे साहब ने मुझे उनका खुदका मोबाईल नं. 9423964007 दिया ओर उसके बाद और एक नंबर देकर उस नंबर पे बात करने के लिए कहा और बताया की, ''ये पी.एस.आय. हुसेन शहा साहाब है. वो आ करके सब मॅटर निपटा देंगे''. उसके बाद मेरी लिखीत शिकायत उन्होने अपने टेबल पर रख दि और वो अपने कॅबिन के बाहर चले गए. उसके बाद मैने घाटे साहब ने दिए हुए मो. नंबर 9011004960 पे शहा साहब को फोन लगाया और उनको बोला की घाटे साहाब ने मुझे आपका नंबर दिया है. एक कम्लेंट है बोला. उसपर उन्होने ''ठिक है आता हु'' बोले. तो मै पुलीस स्टेशन मे ही रूक गया. तकरिबन आधा घंटे बाद पुलिस स्टेशन मे उनके आने की राह देखने के बाद हुसैन साहब ने मुझे फोन किया और डी.बी. रूम मे बुलाया. उसके बाद उनको पुरा मामला बताने के बाद हुसेन साहब ने कहा की 'मै घाटे साहब से बात करके देखता हू. और वो पुलीस स्टेशन के उपर वाले माले पे घाटे साहब से मिलने चले गए. नीचे आने के बाद शाम के तकरीबन 7 बजे के दरम्यान शहा सहाब मुझे बामनी के

गोडावून लेके गए. उस वक्त मै अपनी मोटार सायकील पे और शहा साहब अपने टू व्हिलर पे एक सिव्हील आदमी को लेकर बामनी के गोडावून पहूंचे. उस वक्त गोडावून बंद होने के कारण उन्होने मुझे कहा की, ''कल सुबह गाडी लोड होने के बाद उसका फोटो निकालकर मुझ भेजो.'' तो उसी हिसाब से मैने दुसरे दिन 29/12/24 को 12/05 बजे के दरम्यान गाडी लोड होने के बाद मेरे मोबाइल से फोटो निकलकर हुसेन सहाब को भेज दिया था. फोटो भेजने के दस मिनट बाद हुसैन साहब का मुझे व्हाटस अॅप कॉल आया और उन्होने मुझे गोडावून से निकलने के लिए कहा. उस वक्त गोडावून का इन्चार्ज शेख याकुब वही पे गाडी लोड कर रहा था. मै वहा से निकलकर अपने घर आ गया. तकरीबन एक-देड बजे मुझे गोडावून इंन्जार्ज याकुब के मोबाइल नं. 9347031931से मेरे मोबाइल नं. 9823380627 पे फोन आया और याकुब ने मुझे पुछा की, ''पुलीसवाले आये थे उन्होने गाडी भरने से रोक दिया है. तुमने हमारे खिलाफ कम्प्लेंट कर दी क्या.'' ऐसा पुछा उसपर मैने बोला की, 'मै वहापर आकर बात करता हू' ओर मै तुरंत गोडावून चला गया .वहा पर मुझे याकुब मिला मैने याकुब को बोला की तुम्हारे सेठ लोगों को यहा पर बुलाओ यही पे बात करेंगे. फिर याकुब ने चारो को फोन लगा के आने के लिए बोला लेकीन वो कल आते बोले. दुसरे दिन 30/12/2024 को जमील ओर आसीफ दोनो जन निजामाबाद से रेल्वे से बल्लारशा मे आये और जमील ने मुझे स्टेशन पे लेने के लिए बुलाया तो मै मेरी कार से उनको लेने के लिए गया. हम तीनों ने साथ मे खाना खाया और साडे चार बजे के दरम्यान हम पुलीस स्टेशन के बाहर जा कर रूक गये. उसके पहले दोपहर तकरीबन 03/15 बजे के दरम्यान हुसेन शहा साहब को मैने फोन किया था और थाने मे आने के लिए कहा था. उसपर शहा साहब ने ''मै बाहर हुं, तुम पुलीस स्टेशन मे रूको'' ऐसा कहा. उसके बाद याकूब भी पुलीस स्टंशन आया. थोडी देर बाद हुसैन शहा साहब आये और हम सबको डी.बी रूम मे लेके गए. वहा पे शहा साहब ने तीनो का बयान लिया. उस वक्त जमील ने शहा साहब को बताया की, ''ये पुरा हिसाब पाच तारीख को कोरटला मे, जहा रऊफ साहब का ऑफिस है वहा पे होने वाला है'' ऐसे बताया. उस पर शहा साहब बोले की, नही, पाच तारीख को हिसाब यही पे होंगा और उन्होने मुझसे हमारा मेडीएटर एजाज का मो. नं मुझसे लिया और खुद के मोबाइल से उसको फोन लगाया और पाच तारीख को पुलीस स्टेशन मे आने के लिए कहा लेकीन उन्होने और दो दिन का टाइम मांगा. उसपर हुसैन साहब ठिक है बोले ओर उन्होने सात तारीख को पुलीस स्टेशन मे पेश होने की नोटीस बजाइ. उसके बाद हम सब पुलीस स्टेशन से निकल कर आ गए. उसके बाद रात को तकरीबन 08/45 बजे हुसेन साहब का मेरे मोबाइल पर मिस कॉल दिखा तो मैंने 09/04 बजे उनको फोन लागाया तो उन्होने मुझे कहा की, ''तुम कोरटला मत जाओ. उनको यही पे सात तारीख को बुलाओ हम तुम्हारा हिसाब यही पे कर देते है. जो भी बात होंगी वो सात तारीख को पुलीस स्टेशन मे ही होंगी'' ऐसा कहा.

उसके बाद 03/01/2025 को मुझे मुन्शाद भाइ का फोन आया ओर बोले की ''मुझे रऊफ सेठ ओर एजाज भाइ ने कोरटला मे बुलाया है तो मै जा रहा हू मुझे मेरा मुददल मिलेगा तो मै ले लुंगा. तुम आ रहे हो क्या? उसपर मैने उनको बोला की, ''वो लोग मुझे बुलाए नही तो मै कैसे आता.'' ऐसा कहा. वहा जाने के बाद मुन्शाद भाइ ने वापस मुझे फोन किया तो मैने उनसे बोला की आप वहा पे सेटलमेंट मत करो आप उन लोगों को यहा पर लेके आओ. यहा पे बात होगी तो मेरा भी कमीशन मुझे मिल जाएगां. उसपर मुन्शाद भाइ ठिक है बोले.

दिनांक 06/01/2025 को मुझे मुन्शाद भाइ का सुबह 11/00 बजे फोन आया ओर गोडाऊन मे आने के लिए कहा तो मै वहा पे चला गया तो वहा पर मुन्शाद भाइ, एजाज, रऊफ, आसीफ, जीमल, याकुब ओर बाहर का मिडीएटर नवाब खान हजीर थे. वहा पर हमारी चर्चा के दौरान ऐसा तय हुआ की, 19,02,000/-रू के माल के व्यवहार के बदले सिर्फ मुददल के 16,15000/- रू मुन्शाद भाइ को देंगे और मेरा कमीशन नही देगे. उस बात पर मैने भी सहमती दे दी. तो उन्होने तुरंत 16,15000/-रू. मुन्शाद भाइ के खाते मे ट्रान्सफर कर दिए. ये सारी सेटलमेंट की बाते हमने एक कागज पर लिख ली और उसपर सबने अपनी अपनी सही की. उस वक्त रऊफ भाइ ने मुझे पुलीस स्टेशन मे कि हुइ कम्प्लेंट वापस लेने के लिए कहा तो मै उसी दिन शाम के 06/30बजे के दरम्यान बल्लारशाह पुलीस स्टेशन मे सेटलमेंट के कागदात लेकर मेरी दी हुइ लिखीत कम्प्लेंट वापस लेने के लिए गया. तब वहा पे शाह साहब नही थे तब मैने उनके मोबाइल पे फोन लागाया तो उन्हेने मुझे रूकने के लिए बोला. रात मे करीब 08/15 बजे शहा साहाब ने मुझे फोन करके बोला की ''मै पुलीस स्टेशन आया हू तु आ जा.'' उस वक्त मै पुलीस स्टेशन के बाजु मे ही था तो तुरंत थाने चला गया. मैने अंदर जा के सेटलमेंट की बात शहा साहब को बताइ और उनको सेटलमेंट का कागज बताया और रिपोर्ट वापस लेने की बात की तो वो मुझपर भडक गये और कहा की, ''सेटलमेंट के लिए मुझे बुलाना था तुमने क्यो नही बुलाया.'' और मुझे बाहर पुलीस स्टेशन के गेट पे लेकर आए. वहा पे उन्होंने घाटे साहब को फोन लगाकर बात की, फोन रखने के बाद शहा साहब ने मुझे कहा की, ''20 टक्के की बात हुइ थी ऐसा घाटे साहब कह रहे थे.'' उसपर मैने कहा की 'मेरे को कमीशन ही नही मिला तो 20 टक्का कहा से दू' ऐसा कहा. उसपर शाह साहब ने कहा की, ''रूको घाटे साहब आ रहे है.'' उसके बाद मै बाहर ही रूक

गया. करीब आधे घंटे के बाद घाटे साहब आये तो शहा साहब मुझे घाटे साहब से मिलाने के लिए लेके गये. पहले शहा साहब घाटे साहब के केबीन मे अन्दर गए वो घाटे साहब से बात करके बाहर आए और मुझे अन्दर लेके गए. उस वक्त केबीन मे मै, घाटे साहब और शहा साहाब ही थे. मैने घाटे साहब को बताया की, ''मुझे कमीशन मिला ही नही तो मै 20 टका कहा से दू.'' उसपर घाटे साहब मुझे बोले की, ''तुम्हारा कमीशन नही मिला तो मै क्या करू? पैसा तो तुम्हे देना पडेगा तुम कही से भी लाओ. और आज के बाद जो भी बात करनी होगी वो मुझसे नही शहा साहब से करो. तो मै ठिक है बोल के पुलीस स्टेशन से निकल आया.

दुसरे दिन 07/01/2025 को दोपहर मे 03/00 बजे के आसपास मुझे शहा साहब के मोबाइल से फोन आया ओर बोले की, जितना पैसा जमा हुआ है उतना लेके आओ ऐसा बोले. उसपर मै ठिक है करके फोन काट दिया और देढ घंटे के बाद पुलीस स्टेशन चला गया ओर शहा साहब से मिला और उनको बोला की मेरे पास दस हजार रूपये जमा हो गये है वो लेलो लेकीन शहा साहब ने मना कर दिया और बोले की 'इतने पैसे से कुछ नही होता कम से कम लाख, पचास हजार ला तब मै साहब से बात करूगा'' ऐसा बोले तब मैने ठिक है करके निकल आया. उसके बाद फिर शाम के 7 बजे मुझे शहा साहब का मिस कॉल आया तो मैने उनको कॉल किया तब उन्होने मुझे पुलीस स्टेशन के बाहर मिलने को बुलाया. मै वहा पे जाके उनको मिला तो वहा शहा साहब मुझे डराने धमकाने लगे और कहने लगे की ''साहब तुमसे नाराज है. तुम्हे कोइ्र भी केस मे अंदर डाल देंगे. तु कैसे भी करके पैसे का जुगाड करो'' तो मै कोशीष करता हु बोलके वहा से निकल गया. उसके बाद जब मै घर मे सोया था तो रात मे 10/34 बजे के दरम्यान शहा साहब का मुझे फोन आया ओर बोले की, ''तु पुलीस स्टेशन मे आ. साहब बुला रहे है. उसपर मैने उनको बोला की, ''मेरे घर के लोग डर रहे है. मै सुबह आता हू तुम्हारा जो भी है कर देता हू.'' कहके फोन काट दिया.

दिनांक 08/01/2025 को सुबह 10/38 को मुझको शहा साहब का फोन आया तो मैने उनको आ रहा हु करके बताया और 50,000/-रू लेके पुलीस स्टेशन पहुंचने के बाद बाहर से ही मैने मेरे दोस्त अॅड. राहील खान को 11/00 वाजे दौरान उनके मो. नं. 9405534433 पर फोन लगाया और उनको बल्लारशाह पुलीस स्टेशन मे मुझे होणेवाली परेशानी के बारे मे बताया. तो उन्होने मुझे बोला की, ''पैसा देने की जरूरत नही है.'' ऐसा बोलकर मुझे अँन्टी करप्शन चंद्रपूर का 07172-250251 नंबर दिया. (टीप. CCTNS संगणक प्रणालीमध्ये अक्षरांची मर्यादा असल्याने उर्वरित फिर्याद मुळकागदपत्रात समाविष्ट करण्यात आली आहे.)

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** (केलेली कारवाईः बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):

SUNIL VITTHALRAV GADE(I (Inspector)) / pcmh94158 **or** (किंवा)

(2) **Directed (Name of I.O.)** (तपास अधिका-याचे नाव):

Rank (पद): **No.**(क्र.):

to take up the Investigation (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) **or** (किंवा)

(3) **Refused investigation due to** (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):

or (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला)

(4) **Transferred to P.S.**
(गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):

District (जिल्हा):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 **Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**
(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

15.**Date and time of dispatch to the court**
(न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

Signature of Officer in charge, Police Station
(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): SUNIL VITTHALRAV (

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): pcmh94158

स्टेशन डायरी अंमलदार
पोलीस स्टेशन

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ ला जोडपत्र)**: Physical features, deformities and other details of the (If known / seen)**(संशयीत/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्टये, व्यंग आणि इतर तपशील))

S.No.(अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तारीक/ वर्ष)	Build (बांधा)	Height (cms.) (उंची(सें. मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					चेचक के दाग: NO

Deformities/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (डोळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress Habit(s) (पोषाखाच्या सवयी)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा / बोलीभाषा)	Place Of (का स्थान)					Others (इतर)
	Burn Mark (भाजल्याच्या खुणा)	Leucoderma (कोड)	Mole (तिळ)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(जर तक्रारदार/माहिती देणा-याने संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)